कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

फेमिदा परवीन व्याख्याता(उर्दू) का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक :—शिविरा/माध्य/संस्था/सी—5/स्थानान्तरण पदस्थापन/2018 दिनांक 13.08.18 द्वारा राउमावि. गुलजार बाग (टोंक) से राउमावि. धोईन्दा (राजसमन्द) किया गया। फेमिदा परवीन ने अपने स्थानान्तरण आदेश के विरूध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19123/2018 दायर की। याची ने कहा है कि वह तलाक शुदा महिला है अतः उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाये। माननीय उच्च न्यायलय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण का आदेश दिया।अतः याची ने अपना अभयावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की माँग के विषय मे स्पष्ट है कि याची का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है अतः किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य में किसी भी जगह किया जा सकता है। याची का स्थानान्तरण विभागीय आवश्यकतानुसार किया गया। इस प्रकार याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुये निस्तारित किया जाता है सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(हस्ताक्षर)

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 15/10/2018

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी—5/**याचिका सं0 19123**/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य—विधि) जयपुर
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा बी—2 जयपुर
3. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि गुलजार बाग टोंक/राउमावि धोईन्दा राजसमन्द
4. संबंधित कार्मिक फेमिदा परवीन व्या0 उर्दू, राउमावि गुलजार बाग, टोंक
5. गार्ड पंजिका

(हस्ताक्षर)
संयुक्त—निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनोपरांत रामचन्द्र पालीवाल पदस्थापन व्याख्याता (भूगोल) पद पर आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/नियुक्ति भूगोल/पीएससी–15 दिनांक 29–8–2018 द्वारा राउमावि.नवलश्याम बिछिवाडा डूंगरपुर किया गया । रामचन्द्र पालीवाल ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 14125/2018 दायर की एंव कथन किया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त भर्ती के जारी संशोधित परिणाम में याचि से कम मेरिट कमांक वाले अभ्यार्थियो को उनके गृह जिले (उदयपुर) में पदस्थापन मिला एंव उसे गृह जिले उदयपुर सें बाहर डूंगरपुर में पदस्थापन मिला हैं, जबकि उस की कांउसलिग के समय उदयपुर जिले में रिक्तियां उपलब्ध थी । अतः याची को उसके गृह जिले में पदस्थापित किया जाना चाहिये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया, जिसकी पालना में याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का पदस्थापन काउसलिंग के द्वारा किया गया तथा याची को उस समय काउसंलिग के लिये निर्धारित रिक्त पदों में से स्थान चयन करने का अवसर दिया गया संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की काउसंलिग बाद में की गयी और उन्हें उसी प्रकार काउंसलिग के लिये निर्धारित पदों में से चयन का अवसर मिला।काउंसलिग के लिये रिक्त पदों का निर्धारण विभाग की आवश्यकता एवं प्राथमिकता अनुसार किया जाता है, समयनुसार रिक्तियों की स्थिति समान नहीं हो सकती व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है । अतः किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों ।

(हस्ताक्षर)
(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 15/10/18

क्रमांकः–शिविरा/मा./सस्था/सी–5/रामचंन्द्र/को.के/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा डुगरपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि माध्यमिक शिक्षा जोधपुर
5. सहायक निदेशक विधि अनुभाग माध्यमिक बीकानेर बी–2 जोधपुर प्रभाग को प्रति प्रेषित है ।
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि.नवलश्याम बिछिवाडा डूंगरपुर
7. संबंधित कार्मिक रामचंद्र पालीवाल राउमावि.नवलश्याम बिछिवाडा डूंगरपुर
8. निजी/रक्षित पत्रावली

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner